Regarding road construction under PMGSY and construction of a memorial of Bhil leader Khwaja Naik

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज मैं सदन के समक्ष हमारे आदिवासी समाज की भावनाओं से संबंधित एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

अमर बलिदानी खाज्या नाईक का जन्म मध्य प्रदेश के सेंधवा में हुआ था। वह भील समाज के राष्ट्रीय नायक की तरह भी जाने जाते हैं। वर्ष 1857 के संग्राम में उन्होंने भीलों की सेना बना कर अंग्रेजों से संघर्ष प्रारंभ किया और उन्हें जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया। वर्ष 1857 की क्रांति के समाप्त हो जाने के बाद भी खाज्या नाईक अंग्रेजों से लड़ते रहे। 3 अक्टूबर, 1860 को अंग्रेजों के इशारों पर सूर्य उपासना करते समय खाज्या नाईक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। खाज्या नाईक के जीवन से संबंधित एक स्थान बाटवापाड़ा, जो मेरे लोक सभा क्षेत्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका के अंतर्गत आता है। यह स्थान आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है, क्योंकि खाज्या नाईक अपने संघर्ष के समय इसी तालुका में रूकते थे और यहीं से आगे प्रस्थान करते थे।

बाटवापाड़ा आदिवासी समाज के लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है। यहां बहुत वर्षों से मांग हो रही है कि खाज्या नाईक के शौर्य और उनके योगदान को सम्मानित करने हेतु एक स्मारक बनाई जाए। वर्तमान में बाटवापाड़ा तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, क्योंकि यह फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 में बाटवापाड़ा से काकड़माल तक सड़क बनाने की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी गई थी। इस सड़क के निर्माण के लिए 9.90 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया के डायवर्जन की अनुमति भी डीसीएफ, धुले डिविजन द्वारा दी गई है। इस रोड के निर्माण के लिए फाइनल अप्रूवल का निवेदन भारत सरकार के वन मंत्रालय के समझ बहुत सालों से पेंडिंग है।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि 2012 में अप्रूव्ड बाटवापाड़ा से काकड़माल तक की सड़क बनाने की स्वीकृति तत्काल दी जाए और खाज्या नाईक के स्मारक का निर्माण करने के लिए आवश्यक निर्देश दे।

माननीय सभापति **:** श्री भर्तृहरि महताब।

? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य **:** सर, यह कैसे हो गया। आपका नम्बर??(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब **(कटक):** नम्बर में थोड़ा अदल-बदल हो गया है।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** इनका कल का नम्बर है।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** कल यह शून्य काल में बोलने से वंचित रह गए थे।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : लॉग पेंडिंग है।

?(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह स्पेशल है।? (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : यह स्पेशल नहीं है, यह कल से पेंडिंग है।

मैं ओड़िया में बोलना चाहता हूं। मैंने कल नोटिस दी थी।